ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Receivedon 28th Feb 2018, **Revised** on 7th Mar 2018; **Accepted** 17th Mar 2018

आलेख

महिलाओं मे शिक्षा एवं अनुभव की कमी पंचायती राज की समस्याएं

* डा. ओमप्रकाश महला, एसोसियट प्रोफेसर एवं नीतु, शोधार्थी
लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
Email:neeturepswall@gmail.com, Mob. - 9529542900

मुख्य शब्द – *आत्म–सम्प्रत्यय, सामाजिक अभिक्षमता तथा समायोजन आदि।*

भारत एक प्राचीन देश है जहां कि संस्कृति में महिलाओं का स्थान व योगदान सदा से रहा है किन्तु समय के साथ इसमें लगातार गिरावट आती रहती है और आज स्थिति खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों मे अत्यन्त दयनीय है महिलाएं समाज की धुरी है किन्तु इनमें सशक्तिकरण की कमी तथा कार्य के अनुभव की कमी शिक्षा की कमी पुरूष प्रधानता के कारण लगातार दमित स्थिति का सामना करना पड है हांलाकि सरकार ने कई प्रयत्न जैसे शिक्षा पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण एवं इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्रयास किये गये है किन्तु इतना सब होने के बावजूद समाज में कई प्रकार की समस्याओ का सामना लगातार महिलाओं को करना पडता है तथा घर के कार्यो की बात हो या बाहर के कार्य स्थल पर निर्णय लेने की बात हो। दोनों ही स्थानों पर महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता आया है सुधार कार्य जारी है इसमें सरकार का दायित्व प्रमुख है जिसमें शिक्षा एवं पंचायती राज प्रशिक्षण प्रमुख है जितनी भी योजनाएं व परियोजनाएं है चाहे वो ग्रामीण स्तर की हो या शहरी उनमें महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य करवाना सरकार का दायित्व है।

महिला संगठन व स्वयं सेवी संस्थाओं की भी महती भूमिका है जिनके द्वारा महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी से अवगत करवाना व जागरूक करना प्रमुख है।

इसमें महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पडता है जिनका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है।

महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम होना एक सबसे बड़ी बाधा है। इतना ही नही वे पंच या सरपंच के पद पर चयनित होकर आती है तब भी उन्हें कई प्रकार के निर्णय सम्बंधी कठिनाईयों का सामना करना पडता है चाहे वह घर के बाहर जाकर विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवाना हो या अन्य कोई कार्य। आज भी समाज का पुरूष वर्ग महिला की भागीदारी को सही नजर से नहीं देखता तथा उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है साथ ही उन्हें घरों में असहयोग का भी सामना करना पडता है इसके अलावा अपने अन्य पुरूष कार्यकत्ताओं के द्वारा भी पूरी तरह सहयोग नही मिल पाता। साथ ही वित्त की कमी व वित्त का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण व विकास कार्यो में बाधा बनता आया है।

इसके साथ ही उनमें जागरूकता की कमी भी है, इस कारण बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, वे नहीं जानती। अतः उनका जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हालांकि महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वह परिवार, गांव, समाज तथा देश का नेतृत्व भी कर सकती है इसलिए यह मौका महिलाओं को खोना नहीं होगा, पुरूषों की तुलना में महिलाएं मेहनती तथा चीजों को सही तरह से समझने की इच्छाशक्ति वाली होती है। कुछ मामले जैसे पंचायत की न्याय व्यवस्था,

पशुपालन, बागवानी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों की देखभाल महिलाएं ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगी। क्योंकि इनसे महिलाओं का रात–दिन का सम्पर्क होता रहता है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर ज्यादा काम का बोझ पूरे दिन में लगभग 17–18 घंटे होता है। अतः महिलाओं को इसके लिए अलग से समय निकालना मुश्किल होगा। इस पंचायती राज कानून में महिलाओं को एक तरफ राजनीति में हस्तक्षेप करने तथा दूसरी तरफ विभाजन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका प्रदान किया गया है। इन सबको महिलाएं कैसे निभा पाएगी यह एक चुनौती है।

सरकार का दायित्व

महिलाओं को साक्षर बनाना राज्य का दायित्व है इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि शिक्षा एवं पंचायती राज सम्बन्धी प्रशिक्षण एक साथ हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अलग से शिक्षित हो, दोनों कार्यक्रम साथ में चले ऐसी व्यवस्था करनी होगी, ताकि महिलाएं पंचायत कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित हो और उनमें आत्मविश्वास तथा अपनी गरिमा को बनाने की क्षमता विकसित हो। सरकार का यह दायित्व होगा कि वें ग्रामीण विकास हेतु जारी सभी लाभकारी योजनाओं को महिलाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करें ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ उन तक पहुंच सकें।

महिला संगठन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका

विभिन्न संस्थाओं का यह प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा किशोर एवं युवा वर्ग की महिलाओं को घरेलू परिवेश के दायरे से बाहर लाकर समाज के कार्यों के लिए पंचायत सदस्य बनाकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया जावें। तभी वे निश्चित रूप से सफल होगें। इस पूरी प्रक्रिया में महिला स्वयं सेवी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी के अनुभव में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ज्यादातर महिलाएं अनपढ हैं

महिलाओं के सन्दर्भ में पंचायती राज की समस्याएं

महिलाओं के सन्दर्भ में पंचायती राज की समस्याएं – देश और प्रादेशिक सीमाओं के अन्दर बसने वाले लोगों में वर्ण व्यवस्था के जातिगत संस्करणों में कहीं तो शिक्षा की स्थिति सन्तोषप्रद है और कहीं जनजातीय समुदायों में निरक्षता की स्थिति महिलाओं के लिए अभिशाप बनी हुई है। वस्तुतः महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम होना एक सबसे बड़ी बाधा है। इसके साथ ही उनमें जागरूकता की कमी भी है, इस कारण बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, वे नहीं जानती।

अतः उनका जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हालांकि महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि वह परिवार, गांव, समाज तथा देश का नेतृत्व भी कर सकती है इसलिए यह मौका महिलाओं को खोना नहीं होगा, पुरूषों की तुलना में महिलाएं मेहनती तथा चीजों को सही तरह से समझने की इच्छाशक्ति वाली होती है। कुछ मामले जैसे पंचायत की न्याय व्यवस्था, पशुपालन, बागवानी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों की देखभाल महिलाएं ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगी। क्योंकि इनसे महिलाओं का रात–दिन का सम्पर्क होता रहता है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर ज्यादा काम का बोझ पूरे दिन में लगभग 17–18 घंटे होता है। अतः महिलाओं को इसके लिए अलग से समय निकालना मुश्किल होता है। इस पंचायती राज कानून में महिलाओं को एक तरफ राजनीति में हस्तक्षेप करने तथा दूसरी तरफ विभाजन के कार्यो में सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका प्रदान किया गया है। इन सबको महिलाएं कैसे निभा पाएगी यह एक चुनौती है।

पंचायती राज में भागीदारी महिलाएं ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगी। इसकी वजह पुरूष की अपेक्षा उसमें भावुकता का प्रतिशत अधिक रहा है। महिला सदस्यों को दण्डित करने का एक तरीका निकाला गया है, अविश्वास प्रस्ताव का दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर सम्बन्धित सरपंच या उपसरपंच को इस्तीफा देना पड़ता है। जिन पंचायतों में

महिलाएं सरपंच है, वहां के पुरूष सदस्य उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बेदखल कर देते है इस षड़यन्त्र का शिकार ज्यादातर पिछड़ी जातियों की महिलाओं को होना पड़ता है।

महिला सहभागिता और शासकीय योजनाएं

प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई पदों के आरक्षण की व्यवस्था से आज महिलाएं अध्यक्ष जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर कार्य कर रही है।

महिलाओं ने समाज के हित में अपनी भूमिका निभाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से अच्छी भागीदारी की है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के मुकाबले 38 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुईं। एक समय घर परिवार तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब पंच, सरपंच या किसी स्थानीय निकाय की प्रमुख होने के नाते नागरिकों को बेहतर प्रशासन दे रही है। नगरों, कस्बों में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता कार्य, उत्सवों, मेलों में विशेष व्यवस्थाओं, बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कार्य महिलाओं के नेतृत्व में किए जा रहे है। इस तरह सत्ता में महिलाओं की सीधी भागीदारी है। राज्य में महिला आयोग का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग को अधिकारों की दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिए एक कानूनी शक्तियां भी दी गई है। आज पंचायती राज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की कार्यशैली को मूक दर्शक के रूप में देखते रहने की मजबूरी से पीड़ित नही है। उनकी समझ में आने लगा है कि गांव में भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या है चाहें वह रोजगार देने में हो या सार्वजनिक वितरण की वस्तुओं को देने में हो या उनकी ड्यूटी से गायब रहने की प्रवृति।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उन्हें शक्ति प्रदान करने की आलोचना करने वाले प्रायः महिलाओं में निर्णय लेने की दक्षता पर ध्यान केन्द्रित करते है। उनका तर्क है कि महिलाओं के हाथ में शक्ति प्रदान करने से पंचायतों की भूमिका या कार्य शैली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पंचायत के फैसले वास्तव में पुरूष सदस्यों द्वारा ही लिये जायेंगे। इस आलोचना की सत्यता जानने के लिए पंचायत की बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं और निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श पर दृष्टि डालना आवश्यक है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं में कार्य सम्पादन में कठिनाईयां

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां गरीबी, बेरोजगारी, रीति रिवाज, स्वच्छ पेयजल, बिजली, अशिक्षा जैसी समस्याएं है वही ग्रामीण समाज में भी अनेक समस्याएं है जिनमें पेयजल, शिक्षा, सम्पर्क मार्ग, सड़क, अतिक्रमण, हैण्डपम्प की कमी आदि प्रमुख है। इसके अलावा ग्रामीण समाज की कुछ आवश्यकताएं भी है जैसे – सामुदायिक विकास भवन हो, आंगनबाड़ी केन्द्र हो, गन्दे पानी के निकास के लिए नालियां, स्कूल खुलवाने की व्यवस्था, विद्युतीकरण, चिकित्सा केन्द्र, शिशु कल्याण केन्द्र आदि। महिला प्रतिनिधियों ने चुनाव लड़ते समय इन्हीं मुद्धों को आधार बनाकर चुनावों में विजय प्राप्त की। परन्तु कार्य करते समय उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इसलिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से पृथक वार्तालाप कर इन परेशानियों को जानने का प्रयास किया गया ।

महिला पंच

1. **सरपंच सहयोग नहीं करते**– सरपंच उन्हें सहयोग नहीं करते तथा सदस्यों से किसी कार्य के लिए सलाह नहीं करते।

2. **गुटबन्दी** – गुटबन्दी की समस्या उनके कार्य सम्पादन में एक महत्वपूर्ण कठिनाई उपस्थित करती है। सामान्यतया गांव के दो समूह बन जाते है। जहां एक समूह वर्तमान सरपंच का समर्थन करता है, वहीं दूसरा समूह पूर्व सरपंच का समर्थन

करता है जिससे कि पंचो को कार्य करने और योजना बनाने में कठिनाई आती है वे पंच जो किसी समूह के अंग नहीं है, वे पंचायत मीटिंग में अपने समर्थन में बहुमत एकत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते और इसलिए वे अपने वार्ड के समर्थन के पक्ष में एक भी प्रस्ताव पास नहीं करवा पाते। परिणामस्वरूप निर्वाचित प्रतिनिधियों में उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगता है कि वे कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है।

3. **वित्त की कमी और वित्तीय शक्तियां–** गांव के विकास और लोगों के कल्याण की गतिविधियों को सम्पादित करने में मुख्य बाधा वित्त की कमी और वित्त का अभाव है। कुछ महिला पंच अपने पति को पंचायत की क्रियाविधियों में सहभागिता के लिए मना करती है और पंचायतें क्या करती है इस बारे में कुछ नहीं बताती। निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी दक्षता पर आद्यात पहु ंचाने वाला यह एक मुख्य कारण है।

महिला सरपंच

जहां पंचो को सरपंचो के व्यवहार से समस्या आती है वहीं सरपंचो को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

1 **वित्त की कमी वित्त की कमी** – महिला सरपंचो को वित्त के स्त्रोतों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल अपने पति द्वारा बतायी गयी योजनाओं बारे में मालूम हैं। कि वित्त की कमी के कारण बहुत सा कार्य या तो अधूरा रह जाता है या हो ही नहीं पाता है।

2 **गुटबन्दी–** जहां पंच गुटबन्दी के कारण नाखुश है वही कुछ सरपंच भी इस बारे में चिन्तित है तथा उनकी शिकायत है कि सदस्यों के समर्थन के बिना प्रायः कोई भी गतिविधि सफल नहीं हो पाती तथा विपरित समूह मीटिंग में कोई भी प्रस्वात पारित नहीं होने देते तथा सरपंच के समूह के सदस्यों के कार्य में रूकावट डालते है।

3. **नौकरशाही बाधा** – पंचायत के क्रियाकलापों से नौकरशाही का हस्तक्षेप भी रूकावट डालने में अहम् भूमिका का निर्वाह करता है।

4. **राजनीतिक हस्तक्षेप** – गुटबन्दी के कारण जो समूह बन जाते है उनके विपरित समूह विरोध प्रकट करने के लिए राजनीतिक दलों, मंत्रियों तथा विधायकों के हस्तक्षेप का प्रयोग करते है।

5. **सरकारी कार्यालयों के सहयोग में कमी –** सरपंच प्रतिनिधियों ने सरकारी सहयोग की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। यदि हम नशा मुक्ति के लिए आन्दोलन करते है तो सरकार की ओर से हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

महिला सहभागिता एवं समस्याएं

उपर्युक्त प्रशासनिक बाधाओं के अतिरिक्त चयनित महिला प्रत्याशियों जिनमें सरपंच एवं पंच सभी शामिल है, के सम्मुख राजनीति में भागीदारी में निम्नलिखित समस्याएं उभर कर आई है – 1. अशिक्षा एव एवं जानकारी का अभाव– ज्यादातर पंच महिलाओं ने अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव को राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा माना है। इनका मानना है कि केवल पढ़ी–लिखी महिलाओं को ही समर्थन प्राप्त होता है। अशिक्षित महिलाओं से बिना सच बतायें किसी भी कागज पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये जाते है क्योंकि वे अशिक्षित है। उन्हें बातचीत करने में झिझक महसूस होती है तथा सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने व कार्य करने में कठिनाई आती है। अशिक्षित होने के कारण ही उनमें जानकारियों का अभाव बना रहता है।

.सामाजिक व्यवहार और पुरूष प्रधानता

ग्राम पंचायत की पंच महिलाओं को अकेले जाने में समस्याओं का सामना करना पडता है। किसी पंचायत कार्य के लिए वे पूरी रात घर से बाहर नहीं गुजार सकती। लोग उसके घर से बाहर रह जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते है।

महिलाएं पुरूषों के साथ बैठनें में शर्म महसूस करती है। कई महिलाएं घूंघट में रहती है। पंच/सरप ंच महिलाओं का कहना था कि सामान्य सीट से महिला चुनाव लड़े ऐसा लोग अच्छा नहीं मानते परन्तु आरक्षित सीट की वजह से उन्हें चुनाव लड़वाया जाता है। पर्दा प्रथा, शर्म आदि कुछ तथ्य महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते है।

राजनीतिक अनुभव की कमी राजनीतिक अनुभव की कमी राजनीतिक अनुभव की कमी

महिला प्रतिनिधियों में महिलाओ को राजनीति का अनुभव नहीं है इसलिए न उनको मीटिंग करने की जानकारी है और न ही विकास संबंधी कार्यो की। अनुभव न होने के कारण वे अपने जनप्रतिनिधि संबंधी कर्त्तव्यों का पूर्ण पालन नहीं कर पाती एवं दूसरों पर निर्भर रहती

सन्दर्भ

1बंसल वन्दना – पंचायती राज में महिला भागीदारी, अल्पाज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004

2. भारद्वाज डॉ. अरूणा पंचायती राज व्यवस्था के वैचारिक आयाम, जयपुर, 2000 3. भुनेश्वरी रिचा – महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं, रितु पब्लिकेशन्स, 28, सीताराम पुरी, आमेर रोड, जयपुर, 302002, 2011

4. चन्द्रा, शान्ति कोहली – वीमेन एण्ड एम्पॉवरमेन्ट इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई, सितम्बर, 1997, वोल्यूम 43

5. चोपड़ा सरोजबाला, – स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000

**** Corresponding Author:***
डा. ओमप्रकाश महला, एसोसियट प्रोफेसर एवं **नीतु**, शोधार्थी
लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
Email:neeturepswall@gmail.com, Mob. - 9529542900